

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

!! कार्यालय आदेश !!

संख्या- 4/प्रो0-03-101/2014-

पटना-15, दिनांक- , 2018

बिहार सचिवालय लिपिकीय नियमावली, 2006 के कंडिका- 12(1) एवं (2) तथा विभागीय पत्रांक- 1800 दिनांक- 09.06.2011 की कंडिका- 3(iv) एवं (v) के प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय/आयोग के नियमित स्थापना में कार्यरत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नांकित निम्नवर्गीय लिपिकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक के पद (बैण्ड वेतन 5200-20200+ग्रेड पे 2400 अपुनरीक्षित) पर सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ- 4 में अंकित कार्यालय/आयोग में उच्चवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम एवं वरीयता क्र०	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	श्रीमती मंजू मिश्रा वरीयता क्र०- 15	राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना	बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना
2	श्री राजू राम वरीयता क्र०- 19	आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा	आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा

3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

4. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या- 29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल०पी०ए० संख्या- 173/2018, राज्य सरकार बनाम सुनील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह०/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 4/प्रो0-03-101/2014-

पटना, दिनांक , 2018

प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 4/प्रो0-03-101/2014- 186

पटना, दिनांक 10-5-2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, राज्य सूचना आयोग/अवर सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग/आयुक्त के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण, छपरा/अवर सचिव, प्रभारी बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग को दो प्रति में/कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा एवं संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव